

पुत्र दयालु vs कलशराम 21/2018

9.4.19

पत्रावली पेश उष्टी। वकील उगमप्रउपण।
अधी न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी
का स्थानान्तरण आग्रह हो चुका है प्रकाश
को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत
नहीं होता है। प्रापत्र भुंतकिन्नी सारहीन होने
से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नवंबर से कम हो

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official